

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

मांग संख्या 71

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
	राजस्व	91.00	295.99	386.99	78.90	442.27	521.17	85.00	415.99	500.99	
	पूँजी	47.00	9.01	56.01	43.10	9.73	52.83	53.00	9.01	62.01	
	जोड़	138.00	305.00	443.00	122.00	452.00	574.00	138.00	425.00	563.00	
1.	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	27.36	45.45	72.81	26.16	61.47	87.63	35.50	62.72	98.22
2.	न्याय प्रशासन	2014	...	27.84	27.84	...	49.09	49.09	...	47.22	47.22
3.	कर्मचारी चयन आयोग	2051	...	32.08	32.08	...	36.98	36.98	...	36.84	36.84
	जोड़	4059	0.72	0.72	...	0.01	0.01
	जोड़		...	32.08	32.08	...	37.70	37.70	...	36.85	36.85
पुलिस											
4.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो	2055	4.14	136.48	140.62	4.14	222.91	227.05	4.00	201.15	205.15
	जोड़	4055	26.00	0.01	26.01	32.00	0.01	32.01	36.00	...	36.00
	जोड़		30.14	136.49	166.63	36.14	222.92	259.06	40.00	201.15	241.15
अन्य प्रशासनिक सेवाएं											
5.	प्रशिक्षण	2070	57.00	39.22	96.22	46.10	46.00	92.10	43.50	45.31	88.81
	जोड़	4059	16.00	...	16.00	11.00	...	11.00	16.00	...	16.00
	जोड़		73.00	39.22	112.22	57.10	46.00	103.10	59.50	45.31	104.81
6.	सतर्कता	2070	...	8.20	8.20	...	12.88	12.88	...	12.14	12.14
7.	अन्य व्यय	2070	2.50	6.72	9.22	2.50	12.94	15.44	2.00	10.61	12.61
	जोड़	4059	5.00	...	5.00	0.10	...	0.10	1.00	...	1.00
	जोड़		7.50	6.72	14.22	2.60	12.94	15.54	3.00	10.61	13.61
8.	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को आवास निर्माण अग्रिम देने के लिए राज्यों को ऋण	7601	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00	...	9.00	9.00
	जोड़		138.00	305.00	443.00	122.00	452.00	574.00	138.00	425.00	563.00
*	इसमें 16.00 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता शामिल है।										
**	इसमें 1.50 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता शामिल है।										
ग.	आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1.	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	32052	27.36	...	27.36	26.16	...	26.16	35.50	...	35.50
2.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो	32055	30.14	...	30.14	36.14	...	36.14	40.00	...	40.00
3.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	80.50	...	80.50	59.70	...	59.70	62.50	...	62.50
	जोड़		138.00	...	138.00	122.00	...	122.00	138.00	...	138.00

1. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के संबंध में सचिवालय व्यय हेतु यह प्रावधान निम्न के लिए है: (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जिसे नियम और विनियम बनाने/उनकी व्याख्या करने, भर्ती, पदोन्नति और आरक्षण नीति, वरिष्ठ और मझले प्रबंधन स्तर के लिए अंतर्वेशन, प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सेवा शर्तों, सतर्कता, अनुशासन, कॅरिअर और जनशक्ति आयोजना इत्यादि का कार्य सौंपा गया है। प्रावधान में सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, गृह कल्याण केन्द्र, आवासीय कल्याण संघ और संस्कृति विद्यालय इत्यादि को दी जाने वाली अनुदान सहायता भी शामिल है इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रचार करने के लिए प्रावधान भी शामिल है।

(ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग जिसे प्रशासनिक सुधार, संगठन और पद्धति तथा नीति, समन्वय और शिकायतों के निवारण का कार्य सौंपा गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों, सिविल सेवा दिवस/प्रधानमंत्री पुरस्कार/मुख्य सचिवों के सम्मेलन की मेजबानी करना शामिल है। इसमें सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक सुधार पर प्रायोगिक परियोजनाओं, गरीबी कम करने के लिए क्षमता निर्माण (अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग, यू.के सरकार द्वारा समर्थित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना और प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन भी शामिल है; तथा (ग) पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग जो उपदान, पेंशन, पेंशनभोगियों को लाभों सहित सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित सभी योजनाओं के प्रबंधन का कार्य देखता है।

2. यह प्रावधान केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना संबद्ध व्यय के लिए है जिसका गठन केवल लोक सेवकों की शिकायतों के निवारण के लिए किया गया है ताकि शिकायतों के निवारण में होने वाली देरी से बचा जा सके।

3. कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना संबद्ध व्यय और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों इत्यादि के निचले ग्रेड के कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित परीक्षाओं के आयोजन हेतु यह प्रावधान किया गया है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग के गुवाहटी कार्यालय के लिए कार्यालय आवास की खरीद हेतु प्रावधान भी शामिल है।

4. यह प्रावधान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के व्यय के लिए है जो सरकारी कर्मचारियों, गैर सरकारी व्यक्तियों, फर्मा के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों में अन्वेषण और अभियोजन के कार्य करता है। इसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशिक्षण केन्द्र का आधुनिकीकरण, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का ई-गवर्नेंस, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मुख्यालय का भवन का निर्माण और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यालय/आवास परिसर के लिए भूमि खरीदने और निर्माण का सांकेतिक प्रावधान शामिल है।

5. इस प्रावधान में (क) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (ख) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी; (ग) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान; और (घ) अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय शामिल है। ये संगठन फाउंडेशन पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, मिड कैरियर ट्रेनिंग इत्यादि सहित अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं ताकि सचिवालयी पदों के सभी

स्तरों/ ग्रेडों के अधिकारियों को नवीनतम नियमों और विनियमों, अभिरूचि इत्यादि से परिचित रखा जा सके। सीधे भर्ती सहायक के वेतन जो छः महीने के फाउंडेशन कोर्स करते हैं और केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों के संबंध में जो सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में अनिवार्य प्रशिक्षण लेते हैं जैसा कि अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार करते समय पूर्व शर्तें हैं को भी मंत्रालय के बजट में मुख्य रूप से शामिल किया गया है। उन पर घरेलू/विदेश यात्रा/पाठ्यक्रम शुल्क इत्यादि पर होने वाला व्यय भी शामिल है। इसमें प्रशिक्षण योजनाओं अर्थात् सभी को प्रशिक्षण, विदेश प्रशिक्षण के लिए घरेलू निधियन, सूचना तक पहुंच हेतु क्षमता निर्माण (यू.एन.डी.पी. स्कीम) के लिए प्रावधान भी शामिल है। इसमें (क) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसुरी का एक उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उन्नयन; और (ख) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की स्थापना और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में प्रशिक्षण सुविधाओं के

वर्धन हेतु लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसुरी के लिए अवसंरचना में सुधार और आवश्यक सुविधाएं भी शामिल हैं।

6. यह प्रावधान केन्द्रीय सतर्कता आयोग के स्थापना संबद्ध व्यय (प्रभारित व्यय) के लिए है।

7. यह प्रावधान लोक उद्यम चयन बोर्ड तथा केन्द्रीय सूचना आयोग के स्थापना संबद्ध व्यय के लिए है। इसमें केन्द्रीय सूचना आयोग के लिए कार्यालय भवन के निर्माण, डाक अंकीकरण सहीत सीआईसी की आयोजनागत स्कीमों, सीआईसी के वीडियो सम्मेलन सुविधा की स्थापना तथा प्रचार सामग्री की तैयारी हेतु प्रावधान शामिल है।

8. अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को भुगतान किए गए भवन निर्माण अग्रिम के संबंध में राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों के लिए यह प्रावधान लक्षित है जो कि इस मंत्रालय के बजट में केन्द्रीकृत रूप से किया गया है।